

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर(भीलवाडा)

भंवरलाल पिता भुवाना मीणा नि. लुहारीकलां

बनाम

उंकार पिता कालू मीणा नि. लुहारीकलां वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 615/2023

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हय |
|------------|---|--|
| 14.0623    | <p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम लुहारीकलां प. ह. लुहारीकलां तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 3480 कुल किता 1 रकबा 2.2662 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्द में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम लुहारीकलां प. ह. लुहारीकलां तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 3480 कुल किता 1 रकबा 2.2662 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> |  |

उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर (भीलवाडा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा  
क्रमांक / रीडर / 2023 / 615 / 2023 दिनांक :- 14.06.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र स. 615/23 अनवान भवरलाल पिता भुवाना भीणा नि लुहारीकला  
बनाम उकार पिता कालू भीणा, तुलसीराम पिता रामकिशन भीणा, सतीश पिता  
राधाकिशन भीणा, रामप्रसाद पिता मोहन भीणा, विजयसिंह पिता रामकिशन भीणा,  
शंकर लाल पिता रामगोपाल भीणा, कमलेशी पति कमल भीणा नि. लुहारीकला  
वगैरह की पत्थरगढी की पालना करने वास्त।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम लुहारीकला प. ह.  
लुहारीकला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 3480 कुल कित्ता 1 रकबा 2.2662  
हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु शु अगिलेख निरीक्षक  
लुहारीकला को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं।  
जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के  
दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योग में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (भीलवाडा)